



न्यायालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या 31/74 सन 2026

(CNR No. UPFT-01001330 2026)

ओमपाल सिंह - -बनाम- -फूल सिंह एवं अन्य

29.08.2026:

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी पर तामीला पर्याप्त माना जा चुका है, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पर 4ग2 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त आख्याओ का अवलोकन किया।

आवेदक ओमपाल सिंह की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4ग2 इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या-6 फतेहपुर में लम्बित मूल वाद संख्या 421 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि एवं न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०, फतेहपुर में लम्बित प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की विवादित सम्पत्ति व पक्षकार समान है, उक्त दोनों मूल वाद न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), फतेहपुर में विचारण हेतु चल रहें थे, जिसमें प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की पत्रावली ट्रांसफर हो जाने के उपरान्त वर्तमान समय में उक्त दोनों वाद अलग अलग न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव अनुरोध किया गया है कि उक्त दोनों वादों की विवादित सम्पत्ति एवं पक्षकार समान होने के कारण प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि को अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या-6 फतेहपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या-6 फतेहपुर के न्यायालय से प्राप्त आख्या के अनुसार मूल वाद संख्या 421 सन 2020 की पत्रावली उनके न्यायालय में लम्बित है। इसी प्रकार सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० फतेहपुर के न्यायालय से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की पत्रावली उनके न्यायालय में लम्बित है।

आवेदक की ओर से मूल वाद संख्या 421 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि एवं प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की विवादित सम्पत्ति व पक्षकार समान होने के कारण उनके एक साथ निस्तारण हेतु प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की पत्रावली को अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या-6 फतेहपुर के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त दोनों वादों में पक्षकार समान है तथा दोनों वाद एक दूसरे से सम्बन्धित है। चूँकि उक्त दोनों वाद के पक्षकार समान होना तथा एक दूसरे से सम्बन्धित होना कहा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों वादों को एक साथ निस्तारित किये जाने हेतु किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन होगा। तदनुसार प्रार्थनापत्र 4ग2 निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० फतेहपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकीर्ण वाद संख्या 51/74 सन 2020 ओमपाल सिंह बनाम फूल सिंह आदि की पत्रावली को उक्त न्यायालय से वापस लेकर उसे विधि अनुसार सुनवाई एवम निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय संख्या-6 फतेहपुर में अन्तरित किया जाता है। प्रार्थनापत्र 4ग2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

दिनांक: 29.08.2026

(सुधीर कुमार-V)

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।